

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1282]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2016/ज्येष्ठ 3, 1938

No. 1282]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2016/JYAISTHA 3, 1938

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

**का.आ 1867(अ).**—सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28 फरवरी, 2014 के का.आ. 604 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का ऐसे निरसन से पहले किए गए या लोप किए जाने सम्बन्धी बातों के सिवाय, एतद्द्वारा निरस्त करती है।

[फा.सं. 6(6)/2013-केवीआई-II]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2016

**S.O. 1867(E).**—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 604(E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 6(6)/2013-KVI-III]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.